

माननीय न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक /2014 रिवीजन याचिका

गिज-1830-PBR-14

पहला जिला म.प्र.
19-6-14

श्री पहला जिला म.प्र.
द्वारा आज दि. 19-6-14 को
प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र.
19-6-14



मैसर्स ब्लू लोटस डेवलपर्स द्वारा पार्टनर

महेश भारद्वाज पुत्र श्री मुन्ना लाल भारद्वाज,
आयु- 48 वर्ष, व्यवसाय- व्यापार, निवासी-
ललितपुर कॉलोनी, लशकर, ग्वालियर म.प्र.

.....रिवीजनकर्ता

बनाम

1. श्रीमती समोखा बाई पत्नी स्व. श्री गुलाब
सिंह, आयु-51 वर्ष, व्यवसाय- गृहकार्य,
निवासी- ग्राम अलापुर, परगना व जिला
ग्वालियर म.प्र.

....प्रतियाचिकाकर्ता

2. बदन सिंह पुत्र स्व. श्री धीर सिंह, आयु-
71 वर्ष, व्यवसाय- कृषि, निवासी- ग्राम
अलापुर, परगना व जिला ग्वालियर म.प्र.

.....तरतीवी पक्षकार

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध

आदेश दिनांक 12.06.2014 जो अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार

महोदय, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 18/12-13/अ-27 में पारित किया

गया है-



सम्माननीय न्यायालय

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1830/पीबीआर/14

जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02.04.2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक अनुपस्थित एवं अनावेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। दिनांक 25.09.2018 से भू-राजस्व संहिता संशोधन 2018 प्रभावशील हो जाने से अब तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश की पुनरीक्षण का निराकरण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर कलेक्टर द्वारा किया जाना है। अतः संहिता की संशोधित धारा 50 सहपठित धारा 54(a) के तहत यह प्रकरण निराकरण हेतु कलेक्टर, ग्वालियर को अंतरित किया जाता है।</p> <p>उभय पक्ष सूचित हो।</p> <p> रीडर</p>	<p> अध्यक्ष</p>